न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्याः 09/19

निर्णय दिनांकः– 9-5-2022

(जीसीएमएस संख्या 2019/00178)

1. मदनलाल पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी 13 केजेडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–प्रार्थी

–बनाम–

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–अप्रार्थी

रिव्यू प्रार्थना पत्र विरुद्ध निर्णय दिनांक 18–01–2016

राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

उपस्थितः

1. श्री मेघाराम गोदारा, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. प्रार्थीगण ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 18–01–2016 जिसके द्वारा प्रार्थी/अपीलांट् की अपील खारिज की गई है, के विरुद्ध इस न्यायालय में भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 86 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि न्यायालय वाला द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–01–2016 स्पष्ट रूप से विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। प्रस्तुत प्रकरणा में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि अदालत मातहत द्वारा वर्ष 1970–71 में प्रार्थी के दादा मनफूल को चक 13 केजेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 163/24 के किला नम्बर 1 ता 15 तादादी 15 बीघा भूमि का अस्थाई आवंटन किया गया था। जिसे कालान्तर में पुख्ता कर दिया गया और दिनांक 28–01–1980 को वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये। दिनांक 12–12–1985 को उक्त भूमि में बिना किसी आदेश के चक प्लान में से रास्ता बताते हुए किला नम्बर 21 ता 25 में से 02–02 बिस्वा रास्ता कायम करते हुए भूमि को कम कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे रिमाण्ड किया गया तथा अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 06–04–2002 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जबकि प्रार्थी के दादा का वर्ष 1996 में ही स्वर्गवास हो चुका था व प्रकरण मनफूल बनाम सकरार के बजाय मदनलाल बनाम सरकार करते हुए दिनांक 03–01–2012 को निर्णय पारित कर दिया गया। जिसके विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई जिसे अपीलाधीन आदेश के माध्यम से खारिज की गई। प्रकरण में चूंकि अदालत मातहत द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्व आदेश पारित किया गया है जो प्रारम्भ से ही शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। प्रार्थी द्वारा इस आश्य का कथन अपील में दौराने

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बहस किया गया था, परन्तु न्यायालय हाजा द्वारा इस तथ्य की और ध्यान नहीं देते हुए आदेश पारित किया गया है। जो स्पष्ट रूप से एरर अपेरेन्ट ऑन दा फेस ऑफ दी रिकार्ड की श्रेणी में आता है। प्रकरण में यदि अपीलांट् की खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम भी किया जाता है तो ऐसी स्थिति में डीएलसी दर से दुगनी राशि प्रदान किये जाने के प्रावधान निहित है। वादग्रस्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के चिपती भूमि है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि से रास्ते की आवश्यकता नहीं होने के बावजूद भी न्यायालय हाजा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–01–2016 पारित करने से पूर्व इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर अपना विधि माईन्ड एप्लाई नहीं किया गया है। जोकि एरर अपेरेन्ट ऑन दा फेस ऑफ दी रिकार्ड की श्रेणी में आता है। न्यायालय हाजा द्वारा इन दोनों तथ्यों को अनदेखा करते हुए व उक्त दोनों बिन्दुओं पर अपना कोई मत व्यक्त करे बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है, जोकि स्पष्ट रूप से Mistake apparent on the face of record है। प्रार्थी इस महत्वपूर्ण तथ्य के उजागर होने के आधार पर अपील निर्णय दिनांक 18–01–2016 रिव्यू योग्य है। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर एवं अपील का निर्णय दिनांक 18–01–2016 निरस्त किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपील निर्णय दिनांक 18–01–2016 में किसी प्रकार की विधिक व तकनीकी त्रुटि नहीं है। रिव्यू प्रार्थना पत्र का स्कोप बहुत सीमित है। नजरसानी जैर आदेश में केवल ऐरर ऐपेरन्ट ऑन दी फेस ऑफ रेकार्ड होने पर ही हस्तक्षेप किया जा सकता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि यदि निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण गलत हो तो भी उसे नजरसानी के माध्यम

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

से हस्तक्षेप का आधार नहीं बनाया जा सकता। प्रार्थीगण द्वारा अपने रिव्यू प्रार्थना पत्र में अपील में उठाये गये बिन्दुओं को पुनः उठाया गया है, जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। उपरोक्त सभी बिन्दु अदालत हाजा व न्यायालय हाजा द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में अभिनिर्धारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला द्वारा न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों के अनुसरण में प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 03–01–2012 को पारित आदेश के विरूद्व अपील न्यायाल हाजा के समक्ष धार 75 एलआर एक्ट के तहत प्रस्तुत की गई जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 18–01–2016 को खारिज किया गया है। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा उक्त नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए आदेश दिनांक 18–01–2016 को खारिज करने की मांग की गई है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी के रिव्यू प्रार्थना पत्र का मुख्य आधार यह है कि अदालत मातहत द्वारा एक मृत व्यक्ति के विरूद्व आदेश पारित किया गया था जो प्रारम्भ से ही शून्य आदेश की परिभाषा में आता है, इसके साथ ही प्रार्थी का यह कथन भी है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम भी किया जाता है तो ऐसी स्थिति में डीएलसी दर से दुगनी राशि प्रदान किये जाने के प्रावधान निहित है। वादग्रस्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के चिपती भूमि है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि से रास्ते की आवश्यकता नहीं

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

होने के बावजूद भी न्यायालय हाजा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–01–2016 पारित करने से पूर्व इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर अपना विधि माईन्ड एप्लाई नहीं किया गया है। प्रार्थी के उपरोक्त तथ्यों के संबंध में अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के यह तथ्य दौराने बहस अपील में भी उठाये गये थे जिस पर गौर करते हुए व प्रार्थी की बहस का वर्णन करते हुए अपील का निर्णय दिनांक 18–01–2016 को पारित किया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी पुनः इस बिन्दु पर रिव्यू के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने ऐसा कोई तथ्य नजरसानी प्रार्थना पत्र में नहीं बताया जिससे अपील के निर्णय में एरर अपरेन्ट ऑन दी फेस ऑफ रेकार्ड प्रकट होता हो। इसलिए अपील के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। रिव्यू प्रार्थना पत्र का स्कोप बहुत सीमित है है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि यदि निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण गलत हो तो भी उसे रिव्यू के माध्यम से हस्तक्षेप का आधार नहीं बनाया जा सकता। इसलिए रिव्यू प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण के तथ्यों पर विचार नहीं किया जा सकता।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर प्राथी का रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18–01–2016 यथावत कायम रखा जाता है

9. निर्णय आज दिनांक 9/5/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

9/5/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर